

12037/6-2-96

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95



Received from GOI Finance:

01951
16/8/95

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

P.O 550

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

20/7/95

प्राधिकार से प्रकाशित

K.M. 30

PUBLISHED BY AUTHORITY

C.P.B. 320

सं. 401]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 1995/आषाढ़ 19, 1917

No. 401]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 10, 1995/ASADHA 19, 1917

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1995

का. आ. 620(अ).—राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 1 को उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1995 वह तिथि निर्धारित करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम लागू होगा।

[सं. 61-37/94—डेस्क (टी.ई.)]

डा. आर.वी. वैद्यनाथ अय्यर, संयुक्त सचिव

1666(GI/95)

(1)

Attest

Smt. S. P. 11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

